UPFR050022272022

Civil Suit/466/2022

<u>न्यायालय सिविल जज (सी०डि०), फर्रूखाबाद।</u>

मूलवाद संख्या–466/2022

रजनी गंगवार बनाम चन्द्रहास

<u>दिनांक–09.10.2025</u>

1. पत्रावली पुकार पर पेश। वादी के विद्वान अधिवक्ता अनुपस्थित जबकि प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। वादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं और न ही कोई स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। पत्रावली लंच बाद पेश हो।

सिविल जज (सी०डि०)
फर्रूखाबाद।

<u>लंच बाद–</u>

2. पत्रावली पुकार पर पेश। वादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं और न ही कोई स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी उपस्थित। वादी पूर्व नियत तिथि को भी अनुपस्थित था जबकि प्रतिवादी अधिवक्ता पूर्व नियत तिथि से लगातार उपस्थित आ रहे है। वादी आज भी न्यायालय उपस्थित नहीं हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि वादी मात्र उक्त वाद लंबित रखना चाहता है। अतः प्रस्तुत वाद वादी की अनुपस्थिति एवं प्रतिवादी की उपस्थिति में आदेश 9 नियम 8 सी पी सी के तहत खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(प्रीतिमाला चतुर्वेदी)
सिविल जज (सी०डि०)
फर्रूखाबाद।

.

Digitally signed by PREETIMALA CHATURVEDI
Date: 2025.10.03 16:40:30 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court